

आयकर गणना वित्तीय वर्ष 2017-18

कर निर्धारण वर्ष 2018-19

नाम पद
आयकर स्थायी लेखा क्रमांक : कार्यालय का नाम व पता

1. वेतन (सकल भत्तों को जोड़कर) : रु.....

2. घटाइए -

(क) गृह भाड़ा भत्ता (मकान भाड़ा रसीद सलंगन करने पर)

वास्तविक गृह भाड़ा भत्ता : रु.....

(ख) वाहन भत्ता (वास्तविक खर्च) : रु.....

(ग) अन्य भत्ते (विवरण सहित) : रु.....

(घ) वृत्तिकर (प्रोफेसनल टेक्स) : रु.....

योग (क+ख+ग+घ) : रु.....

3. वेतन से कुल आय (1-2) : रु.....

4. गृह संपत्ति से आय (स्वीकृत व्यय घटाकर) : रु.....

(सुधार कार्य हेतु 30% मानक कटौती)

5. कुल आय (3+4) : रु.....

6. मकान ऋण पर देय ब्याज की राशि : रु.....

(अधिकतम 2,00,000 रूपए यदि ऋण 01.04.1999 के बाद लिया है)

7. शेष कुल आय (5-6) : रु.....

8. अन्य स्रोतों से आय

(क) विभिन्न निवेशों से प्राप्त ब्याज की राशि : रु.....

(ख) परीक्षा/अन्य परिश्रमिक/कमीशन की राशि/ओवर टाइम : रु.....

(ग) यदि अव्यस्यक बच्चे की कोई आय 1,500 से अधिक हो तो:रु.....

9. कुल सकल आय (7+8क+8ख+8ग) : रु.....

10. घटाइए (Under Chapter-VI-A)

(क) धारा 80C के अधीन छूट

(1) सामान्य भविष्य निधि में अंशदान : रु.....

(2) भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम : रु.....

(3) समूह बीमा योजना या परिवार कल्याण योजना : रु.....

(4) राष्ट्रीय बचत पत्र : रु.....

(5) राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज की राशि : रु.....

(6) लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) : रु.....

(7) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूलिप प्लान : रु.....

(8) गृह निर्माण ऋण की वापसी : रु.....

(9) प्रथम दो बच्चों की ट्यूशन फीस : रु.....

(10) टैक्स छूट म्यूचअल फंड में निवेश : रु.....

(11) जीवन बीमा सुरक्षा पॉलिसी (80CCC) : रु.....

(12) बैंक/ डाकघर में स्थायी जमा : रु.....

(FDR कम से कम 5 वर्ष के लिए)

(13) सुकन्या समृद्धि योजना : रु.....

धारा 80C व 80CCC के अधीन बचत का कुल योग	:	रु.....
धारा 80C व 80CCC के अधीन छूट योग्य राशि	:	रु.....
(अधिकतम रु.1,50,000)		
(ख) न्यू पेंशन योजना (NPS) में निवेश	:	रु.....
(धारा 80CCD(1B) के तहत अधिकतम 50,000 रुपए की छूट मिलती है)		
(ग) चिकित्सा बीमा प्रीमियम (धनादेश द्वारा भुगतान)	:	रु.....
(धारा 80D के तहत अधिकतम 25,000रु व वरिष्ठ नागरिक के लिए 30,000रु की छूट मिलती है)		
(घ) आश्रित विकलांग को चिकित्सा पर खर्च	:	रु.....
(धारा 80DD के तहत अधिकतम 75,000रु व वरिष्ठ नागरिक के लिए 1,25,000रु की छूट मिलती है)		
(ङ) शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती (80E)	:	रु.....
(च) प्रधानमंत्री कोष व अन्य दान	:	रु.....
(धारा 80G के तहत प्रधानमंत्री कोष में 100% छूट व अन्य पर 50% छूट या नियमानुसार)		
(छ) बचत खाते में जमा पर ब्याज के सम्बंध में कटौती	:	रु.....
(धारा 80TTA के तहत अधिकतम 10,000 रु की छूट मिलती है)		
(ज) अंध एवं शारीरिक विकलांगता के लिए कटौती	:	रु.....
(धारा 80U के तहत (40%-80%) 75,000रु व 80% से अधिक के लिए 1,25,000रु की छूट मिलती है)		
Chapter VI-A के अधीन कुल छूट	:	रु.....
कर योग्य आय (5-6)	:	रु.....

11. टैक्स की गणना

(क) 2,50,000 (3,00,000 वरिष्ठ नागरिक) रु तक शून्य	:	रु.....
(ख) 2,50,001(3,00,001 वरिष्ठ ना) रु से 5,00,000 रु तक @5%	:	रु.....
(ग) 5,00,001 रु से 10,00,000 रु तक @20%	:	रु.....
(घ) 10,00,000 रु से अधिक पर @30%	:	रु.....

कुल आयकर

12. घटाइए 2,500रु या वास्तविक कर यदि आय 3,50,000 से कम है	:	रु.....
13. देय आयकर की राशि (11-12)	:	रु.....
14. शिक्षा अधिभार (3%)	:	रु.....
15. कुल देय आयकर (13+14)	:	रु.....
16. धारा 89(1) के तहत छूट	:	रु.....
17. शुद्ध आयकर की राशि (15-16)	:	रु.....
18. आयकर की कुल कटौती	:	रु.....
19. शेष आयकर	:	रु.....

दिनांक

आयकर दाता के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य होने पर शेष आयकर या उस पर देय दांडिक ब्याज के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक

आयकर दाता के हस्ताक्षर